

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
कीटासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-94 / 2009 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-54-88-92-क-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु० मूली पत्नि रामनगीना दरोगा, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा  
हाल मुकाम जयपुर (राजस्थान) -----वादी

बनाम

1-मु० नन्दूड़ी पत्नि भवर दरोगा, उम्र बालिग निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा तहसील व  
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-मु० पप्पूड़ी पत्नि प्रभु दरोगा, उम्र बालिग निवासी गेवरिया माईन्स के पास कांटी तहसील  
कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

3-मु० सत्तू बाई पत्नि श्री सोहन लाल दरोगा, उम्र बालिग निवासी सबला जी का खेड़ा  
तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

4-मु० छोटी पत्नि हजारी दरोगा, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा

5-मु० लाली पत्नि रामसिंह दरोगा, उम्र बालिग निवासी धांधोलाई-भीलवाड़ा तहसील व  
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

9-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा  
-----प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 5  
की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.6.2018  
को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और  
डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि  
आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा  
राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार  
किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के इस आशय की जारी की  
जाती है कि ग्राम कालसांस पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित  
निम्नांकित आराजियात विभाजन व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम  
राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन व  
हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।  
1-मु० मूली पत्नि रामनगीना दरोगा, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला  
भीलवाड़ा हाल मुकाम जयपुर (राजस्थान) वादिया के नाम निम्न भूमि हक व हिस्से अनुसार  
राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर  
1259/2


रकबा

07 बिस्वा

लगान

81


उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

  
(सुनिता यादव)  
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.6..2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

की गयी ।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा